स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 281

दिनांक 21 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर देखभाल केंद्रों की उपलब्धता

281 श्रीमती सागरिका घोष:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) व्यापक कैंसर उपचार केंद्रों की जिला-वार उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता में सभी आवश्यक कैंसर उपचार पद्धतियां शामिल हैं; और
(ग) कैंसर रोगियों के लिए प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, कैंसर सहित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ उपलब्ध कराने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। हालाँकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में 'गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, स्क्रीनिंग, प्रारंभिक निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत, देश भर में 770 ज़िला एनसीडी क्लीनिक, 524 डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

(ख) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, पात्र लाभार्थी परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए हर साल प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना में पैनल में शामिल सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी समेत 27 मेडिकल विशेषज्ञताओं में

1,961 प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य लाभ पैकेज में परिवर्तन करने की भी छूट है।

(ग) कैंसर की जांच और उपचार के लिए प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत यह काम आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रशिक्षित अग्रणी स्वास्थ्य कार्मिकों (आशा और एएनएम) के माध्यम से 30 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए मुख, स्तन और गर्भास्य ग्रीवा सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों की आबादी-आधारित स्क्रीनिंग की जा रही है। इससे बीमारी का जल्दी पता लगाने और समय पर रेफर करने में मदद मिलती है, जिससे निदान और उपचार शुरू करने में होने वाली देरी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, कैंसर की परिचर्या को विकेंद्रीकृत करने और कीमोथेरेपी व अन्य डे-केयर ऑन्कोलॉजी सेवाओं तक समय पर पहुंच को सुगम बनाने के लिए जिला अस्पतालों में हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत डीसीसीसी स्थापित किए जा रहे हैं।

'विशिष्ट केयर कैंसर सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की योजना' के तहत, देश भर में विशिष्ट कैंसर परिचर्या को बेहतर बनाने के लिए 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट परिचर्या कैंसर संस्थान (टीसीसीसी) को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) ने कैंसर की व्यापक परिचर्या प्रदान करने के लिए वाराणसी, विशाखापत्तनम, न्यू चंडीगढ़, गुवाहाटी, संगरूर और मुज़फ़्फ़रपुर में छह अस्पताल स्थापित किए हैं। सभी 22 नए एम्स में भी निदान, मेडिकल और सर्जिकल सुविधाओं सहित कैंसर के इलाज की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर (एनसीआई) और कोलकाता चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (सीएनसीआई) का द्वितीय परिसर भी कैंसर की जाँच और उपचार की आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
